

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 05.01.2025

1.थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा मोबाइल टावर से उपकरण चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुये 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 बैट्री, 01 RRU, चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण व मोबाइल फोन बरामदा

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 05.01.2025 को थाना बीटा-2 पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मोबाइल टावर से उपकरण चोरी करने वाले अभियुक्त 1. मोनिश पुत्र जाहीर 2. साहिल पुत्र बाहिद को थाना क्षेत्र के ढिकया बाबा वाले मन्दिर के पास वाले गोल चक्कर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 02 बैट्री, 01 RRU उपकरण व चोरी करने में प्रयुक्त प्लास, पेचकस, शिकंजा, रस्सा व मोबाइल फोन बरामद किये गए हैं।

घटनाक्रम का विवरण-- अभियुक्त मोनिश व साहिल शातिर किरम के चोर है, जो कि रैकी करके मोबाइल फोन टावरों से RRU उपकरण, बैट्री व अन्य कीमती सामान चोरी करते हैं तथा चोरी के सामान को बेचकर अवैध धन अर्जित करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

- 1. मोनिश पुत्र जाहीर निवासी श्यामनगर, थाना लिसाडी गेट, जिला मेरठ वर्तमान पता शास्त्री पार्क, नई दिल्ली।
- 2. साहिल पुत्र बाहिद निवासी सहदोरा, थाना कुलभट्टा, जिला ऊधमसिह नगर, उत्तराखण्ड वर्तमान पता शास्त्री पार्क, नई दिल्ली।

अपराधिक इतिहास का विवरण--

- 1. मु0अ0सं0- 556/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बीटा-2 ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर।
- 2. मु0अ0सं0- 006/2025 धारा 317(2)/ 317(5) बीएनएस थाना बीटा-2 ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर।
- 3. मु0अ0सं0- 002/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना ईकोटेक-1 ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर।
- 4. मु0अ0सं0- 230/2024 धारा 379/411 भादवि थाना टीपी नगर जिला मेरठ।

बरामदगी का विवरण 1. 02 बैट्री संबंधित मु0अ0सं0- 002/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना ईकोटेक-1, गौतमबुद्धनगर। 2. 01 RRU उपकरण संबंधित मु0अ0सं0- 556/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर। 3. चोरी करने में प्रयुक्त प्लास, पेचकस, शिकंजा, रस्सा। 4. 01 मोबाइल फोन।